"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2022—आश्विन 1, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

2. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन प्रोजेक्ट), अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, को केवल अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त तथा महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत रहेंगे.

3. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC), प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन नई दिल्ली, प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा प्रमुख प्रवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (2004), सचिव, गृह विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष यथावत् रहेंगे.

6. श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), सचिव, माननीय मुख्य मंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

7. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), संचालक, कृषि तथा अतिरिक्त प्रभार गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

10. डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार नोडल अधिकारी, नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी एवं छ.ग. गोधन न्याय योजना प्रभारी अधिकारी माटी पूजन अभियान, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सदस्य सचिव नरवा मिशन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, कृषि का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

11. श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड एवं इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (CGRIDCL) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

12. श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना को केवल अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव, कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्धपालन, गोठान) विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2022

शुद्धि पत्र

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-04-2022 द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के सरल क्रमांक 12, 13, 14, 15 एवं 16 में नवीन प्रस्तावित जिलों के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की पदस्थापना की गई है, जिसमें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के आगे जिला शब्द टंकित है. उक्त टंकित जिला के स्थान पर "प्रस्तावित जिला" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2022

संशोधित

क्रमांक एफ 6-55/2021/वाक/पांच.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18-01-2022 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक-13 पर उल्लेखित श्री शैलेन्द्र पाटले के नाम के समक्ष अंकित कॉलम क्रमांक-4 में नवीन पदस्थापना "राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-एक" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति पर नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) नवा रायपुर" अंकित करता है.

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18-01-2022 की शेष सभी कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2022

क्रमांक एफ-7-12/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सूरज सिंह परिहार (भापुसे-2015), माननीय राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 06-07-2022 से 22-07-2022 (कुल 17 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 23 एवं 24 जुलाई 2022 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परिहार (भापुसे-2015), माननीय राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परिहार (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परिहार (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सूरज सिंह परिहार, (भापुसे-2015), माननीय राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आशुतोष सिंह, (भापुसे-2012), सेनानी, 13वीं वाहिनी, छसबल, बांगो, जिला कोरबा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.)

Nava Raipur, Atal Nagar the 4th August 2022

F. No. 1320PSUW/2394/XXI-B/C.G./2022.—The State Government, on recommendation of Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1035/Confdl./2022/II-6-2/2015/II-2-17/2001 (Pt.IV), Bilaspur, dated 29th July, 2022 hereby, withdrawing the services of Smt. Sanjaya Ratrey, Civil Judge Class-I & C.J.M., Balrampur at Ramanujganj from the High Court of Chhattisgarh, appoints her as Registrar, Commercial Court, Raipur, from the date she assumes charge of her office.

क्रमांक 1320PSUW/2394/21-ब/छ.ग./2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा एवं ज्ञापन क्रमांक 1035/Confdl./2022/II-6-2/2015/II-2-17/2001 (Pt.IV), Bilaspur, dated 29th July, 2022, के अनुपालन में, श्रीमती संजया रात्रे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर-रामानुजगंज की सेवाएं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए, रजिस्ट्रार, कॉमर्शियल कोर्ट, रायपुर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

Nava Raipur, Atal Nagar the 12th August 2022

No. F-20-10/2007/11/(6).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest.

In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of Section 30 read with sub-section (3) of Section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006), issued by the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2017, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

In clause (ii) of sub-rule (3) of rule 5, the words, symbols and protasis "Member appointed under clause (ii) of sub-section (1) of Section 21 shall not be eligible for reappointment." shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Special Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2022

क्रमांक एफ 7-50/2021/32.—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दुर्ग भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 के ग्राम आमदी पहनं. 19 तहसील व जिला दुर्ग खसरा क्रमांक 33, 37, 38, 39 पार्ट, 40 पार्ट एवं ग्राम रूआबांधा खसरा क्रमांक 01 पार्ट एवं 04 पार्ट कुल रकबा 129.08 एकड़ भूमि का उपयोग आमोद-प्रमोद त्रुटीपूर्ण प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ट्वीनसिटी तालपुरी ब्लॉक-सी ग्राम आमदी, पहनं.-19, तहसील व जिला दुर्ग खसरा क्रमांक 33, 37, 38, 39 पार्ट, 40 पार्ट एवं ग्राम रूआबांधा खसरा क्रमांक 01 पार्ट एवं 04 पार्ट कुल रकबा 129.08 एकड़ भूमि पर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 24-03-2009 एवं ज्ञापन क्रमांक 3999 दिनांक 04-08-2020 द्वारा संयुक्त आवास योजना हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है. जारी विकास अनुज्ञा के कुल रकबा 129.8 एकड़ में से 3.75 एकड़ निर्माण प्रस्तावित है. शेष भूमि पर विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर हितग्राहियों को आबंटित कर नगर पालिक निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है. इस त्रुटी में सुधार हेतु दुर्ग भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 ग्राम आमदी पहनं. 19 तहसील व जिला दुर्ग खसरा क्रमांक 33, 37, 38, 39 पार्ट, 40 पार्ट एवं ग्राम रूआबांधा खसरा क्रमांक 01 पार्ट एवं 04 पार्ट कुल रकबा 129.08 एकड़ में सुधार किया जाना आवश्यक है.

2. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35(2) एवं (3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात्, दुर्ग भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 के ग्राम आमदी पहनं. 19 तहसील व जिला दुर्ग खसरा क्रमांक 33, 37, 38, 39 पार्ट 40 पार्ट एवं ग्राम रूआबांधा खसरा क्रमांक 01 पार्ट एवं 04 पार्ट कुल रकबा 129.08 एकड़ आमोद-प्रमोद त्रुटीपूर्ण प्रस्तावित है. इस त्रुटी में सुधार हेतु दुर्ग भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग आमोद-प्रमोद को निकाल देने की मंजूरी देता है.

इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि दुर्ग भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 07-01/2022/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 20-05-2022 द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फुलगांव प.ह.नं. 25	129/6	10.012 में से 9.442 हेक्टेयर	कृषि, प्रस्तावित मार्ग, नाला बफर	आवासीय (प्रस्तावित मार्ग, नाला, बफर छोड़कर)
		कुल रकबा - 9.442 हेक्टेयर			

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवासीय योजना के प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 7-17/2022/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 20-05-2022 द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चोरहा	47/1	6.634	आवासीय	औद्योगिक
	प.ह.नं. 0049	47/2	15.00		
			कुल रकबा - 21.634 हेक्टेयर		

2. उक्त उपांतरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को रेल्वे काम्पलेक्स हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 1-08/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में उल्लेखित पात्रता तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान (Selection Grade:Level 13 in the Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900) में नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में पात्रता की तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कृष्णराम बढ़ई (2007)	01-01-2020
2.	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007)	01-01-2020

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2022

क्रमांक 950/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

1. पैराग्राफ (क) में, सरल क्रमांक 16 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "17. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नवा रायपुर अटल नगर.
   18. शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़.
   19. महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग."

2. पैराग्राफ (ङ) में, सरल क्रमांक 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "7. राज्य/जिला शहरी विकास अभिकरण."

3. पैराग्राफ (ङ) में, सरल क्रमांक 16 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "17. ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा.
   18. छत्तीसगढ़ नगरपालिका नगर विकास निधि.
   19. छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर.
   20. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (मुख्यालय सहित समस्त इकाई कार्यालय)."

4. पैराग्राफ (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(च) धार्मिक एवं धर्मस्व प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाएं."

No. 950/1680/2010/Estt./IV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Rajya Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

1. In Paragraph (A), after serial number 16, the following serial number shall be added, namely:-
   "17. Dr. Shyama Prasad Mukherjee International Institute of Information Technology, Nava Raipur, Atal Nagar.
   18. Shaheed Nand Kumar Patel University, Raigarh.
   19. Mahatma Gandhi Horticulture and Forestry University, Patan, Durg."

2. In Paragraph (E), for serial number 7, the following serial number shall be substituted, namely:-
   "7. State/District Urban Development Agency."

3. In Paragraph (E), after serial number 16, the following serial number shall be added, namely:-
   "17. Thakur Pyarelal Panchayat Evem Gramin Vikas Sansthan, Nimora.
   18. Chhattisgarh Nagarpalika Nagar Vikas Nidhi.
   19. Chhattisgarh Administration Academy, Nimora, Raipur.
   20. Chhattisgarh Housing Board (All Unit Offices including of Head Office). "

4. After Paragraph (E), the following Paragraph shall be added, namely:-
   "(F) All Institutions receiving Grants-in-Aid for Religious and Endowment purposes."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेमा गुलाब एक्का, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 13 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110222000119/अ-82/वर्ष 2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	जरगांव	0.04	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मड़ेली-जरगांव मार्ग पर घुनघुटी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 13 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110222000119/अ-82/वर्ष 2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	मड़ेली	0.14	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मड़ेली-जरगांव मार्ग पर घुनघुटी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात मलिक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 18 अगस्त 2022

क्रमांक 3568/01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	पीपरडोल प.ह.नं. 24	0.117	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग बिलासपुर जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.).	पीपरडोल मार्ग में पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 31 अगस्त 2022

क्रमांक 06/अ-82/2009-10/3697.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	धनपुर प.ह.नं. 12	1.565	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग के निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 31 अगस्त 2022

क्रमांक 23/अ-82/2007-08/3699.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	लरकेनी प.ह.नं. 12	3.614	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग के निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 31 अगस्त 2022

क्रमांक 28/अ-82/2015-16/3701.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	करहनी प.ह.नं. 01	3.682	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, पेण्ड्रारोड.	सिवनी -लखनघाट - चंगेरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक/09/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अरईबंद प.ह.नं. 57	0.161	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक/10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 24	0.246	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक/11/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मोछ प.ह.नं. 31	0.199	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्रमांक/03/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अमेरी अकबरी प.ह.नं. 17	0.235	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2022

क्रमांक/02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्ड्रीडीह प.ह.नं. 10	0.186	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 31 अगस्त 2022

क्रमांक 47/अ-82/2018-19/3695.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1513/2	0.004
1513/3	0.004
1513/1	0.004
1594/1	0.004
1518/1	0.004
1513/4	0.004
1594/6	0.004
1513/5	0.004
1595	0.016
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/9990/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-रंगबेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.179 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101	0.040
96, 97	0.077
94/1, 95/1	0.049
88/2	0.032
81, 82, 83, 84	0.101
137	0.057
139/2	0.032
139/3	0.028
139/1	0.032
131, 132, 133	0.081
136	0.024
129	0.061
127/1	0.057
689	0.012
127/2	0.053
692	0.101
181/2, 183/2	0.129
182	0.121
190/2	0.053
732	0.121
690	0.101
698	0.061
735/1	0.061
687	0.101
694/2	0.181
735/2	0.101
733/2	0.020
700/1	0.036
700/2	0.040
701/1, 702/1	0.049
703, 704	0.125
707	0.061
737	0.081
734	0.040
731	0.053
779/1	0.081
781	0.061
805	0.061
803	0.101
779/2	0.040
778/1	0.049
778/2	0.024
780	0.061
782	0.049
783	0.089
784	0.032
812/1	0.162
योग	3.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/9997/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–कोरबा
(ख) तहसील–कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम–मोंगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल–4.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196, 199, 203/2, 204	0.272
207/3	0.056
207/4	0.144
209/1, 210/1	0.202
209/2, 210/2	0.202
217	0.271
224/1	0.091
224/3	0.154
225/1	0.146
225/2	0.073
225/3	0.048
224/2	0.092
248/2	0.092
256	0.216
258/7	0.081
258/9	0.065
259/4	0.129
258/3	0.008
259/2	0.020
259/3	0.020
259/1	0.020
259/7	0.172
325/4	0.052
325/2	0.036
246/6	0.064
225/3	0.048
318	0.150
308	0.028
286/2, 287/2	0.064
307	0.032
294/2	0.080
306	0.072
309	0.024
311/1	0.028
294/1	0.144
286/1, 287/1	0.040
293	0.012
288	0.032
289	0.080
206/9	0.040
207/7	0.240
245/1	0.109
245/2	0.031
246/1	0.101
246/2	0.049
246/5	0.093
255	0.008
325/1	0.081
279/7	0.016
305	0.004
310	0.004
284/2	0.024
321/7	0.020
284/6	0.032
321/2	0.032
321/1	0.020
321/8	0.039
311/2	0.028
259/4	0.012
207/1	0.020
246/4	0.020
योग	4.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है – कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्रमांक 33/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रनपुरकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.192 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
357/33	0.192
योग	0.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम नहर परियोजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़
छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2022

क्रमांक/योजना/छ.ग.श्र.कं.मं./2022/20.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाई जाती है :—

1. मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2022" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापना/संस्थान/कारखानों/ठेकेदारों के अंतर्गत नियोजित/कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के (पुत्र/पुत्रियों) को प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी.

क्रमांक	कक्षावार विवरण	प्रोत्साहन पुरस्कार राशि
(1)	(2)	(3)
1.	छ.ग. राज्य या केन्द्र के किसी भी शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड परीक्षा एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर.	5,000/-

(1)	(2)	(3)
02.	छ.ग. राज्य या केन्द्र के किसी भी शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड परीक्षा व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उक्त मंडलों द्वारा घोषित प्रावीण्य सूची में (टॉप 10) में स्थान हासिल करने पर.	25,000/-
03.	I.I.T/J.E.E. के माध्यम से किसी भी I.I.T/N.I.T/I.I.I.T कॉलेज में दाखिला लेने पर एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होते तक मंडल के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष.	50000/-
04.	NEET के माध्यम से किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दाखिला लेने पर एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होते तक मंडल के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष.	50000/-
05.	अन्य किसी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) के माध्यम से शासकीय महाविद्यालय जैसे N.I.F.T/F.T.I.I में प्रवेश लेने पर एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होते तक मंडल के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष.	50000/-
06.	पी.एच.डी. (PHD) कोर्स के लिए किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर	30,000/-
07.	राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर.	20,000/-
08.	राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग (PSC) में चयन होने पर.	50,000/-
09.	संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर.	50,000/-
10.	संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में चयन होने पर.	1,00,000/-
11.	राज्य/केन्द्र स्तरीय ओलंपियाड में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने पर.	50,000/-
12.	व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा की प्रावीण्य सूची (टॉप 10) में स्थान प्राप्त करने पर.	50,000/-

(iii) योजना का प्रावधान छ.ग. राज्य में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

01. इस योजना का लाभ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापनाओं/संस्थानों/कारखानों एवं ठेकेदारों के द्वारा नियोजित/कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों के पुत्र/पुत्री को दिया जावेगा.

02. योजना हेतु ऐसे ही श्रमिक/कर्मचारी पात्र होंगे जिनके आवेदन तिथि के विगत एक वर्ष की अवधि का अभिदाय राशि जमा की गई हो.

03. मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 1 की उपधारा (6) के अंतर्गत संदाय मजदूरी प्राप्त करने वाले मंडल में पंजीकृत श्रमिक/कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे.

04. योजना हेतु वही छात्र/छात्रा पात्र होंगे जो छ.ग. श्रम विभाग द्वारा संचालित इसी प्रकार की अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

1. योजना हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ श्रम कल्याण मंडल के ऑनलाईन पोर्टल cg.labour.nic.in के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

2. इस आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट भरना तथा सहपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अपूर्ण गलत एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा.

3. मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के साथ नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा.

4. आवेदन पत्र के साथ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा प्रमाणित अंकसूची/प्रावीण्य सूची संलग्न करना अनिवार्य है.

5. योजना में चयनित हितग्राही को वितरित की जाने वाली शिक्षा प्रोत्साहन राशि सीधे श्रमिक/कर्मचारी अथवा लाभार्थी के बैंक खाते में NEFT/RTGS/ धनादेश के माध्यम से अंतरित की जावेगी.

6. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.

7. योजना का प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से पूरे राज्य में प्रभावशील होगा.

8. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) विसंगति का निराकरण :—

1. इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष/कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2022

क्रमांक/योजना/छ.ग.श्र.क.मं./2022/21.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. शैक्षणिक छात्रवृति योजना

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2022" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापनाओं/संस्थानों/कारखानों/ठेकेदारों के अंतर्गत नियोजित/कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के (पुत्र/पुत्रियों) को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत् छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी.

क्रमांक	कक्षावार विवरण	वर्तमान छात्रवृत्ति राशि (छात्र/छात्राएं)	संशोधित छात्रवृत्ति राशि (छात्र/छात्राएं)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कक्षा 01 से 08 वीं तक	1,500/-	3,000/-
2.	कक्षा 09 से 12 वीं तक	3,000/-	6,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	स्नातक अध्ययन जैसे बी.ए./बी.एस.सी./ बी.कॉम/आई.टी.आई. डिप्लोमा नर्सिंग.	5,000/-	15,000/-
4.	स्नातक स्तर से व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि.	8,000/-	20,000/-
5.	स्नातकोत्तर स्तर	10,000/-	30,000/-

(iii) योजना का प्रावधान छ.ग. राज्य में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों की दो पुत्र/पुत्री को जो कक्षा 01 से बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/आई.टी.आई., डिप्लोमा नर्सिंग, स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि, स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत् को ही पात्रता होगी.

(ii) योजना हेतु ऐसे ही श्रमिक/कर्मचारी पात्र होंगे जो प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के पूर्व में विगत वर्ष की अवधि का अभिदाय राशि जमा किया गया हो.

(iii) योजना का लाभ लेने हेतु छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक अथवा "सी" ग्रेड होना अनिवार्य है.

(iv) यदि सामान्य पदोन्नति (General Promotion) हुई है तो अंतिम जिस भी कक्षा की परीक्षा दी गई हो उसमें 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक अथवा "सी" ग्रेड होना अनिवार्य है.

(v) मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 1 की उपधारा (6) के अंतर्गत संदाय मजदूरी प्राप्त करने वाले मंडल में पंजीकृत श्रमिक/कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) मंडल द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु तिथि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा.

(ii) योजना हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ श्रम कल्याण मंडल के ऑनलाईन पोर्टल c.g.labour.nic.in के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(iii) मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के साथ नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(iv) योजना में चयनित हितग्राही को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी पुत्र/पुत्री अथवा श्रमिक/ कर्मचारी के बैंक खाते में NEFT/RTGS/ धनादेश के माध्यम से अंतरित की जावेगी.

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट भरना तथा मांगे गए दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा.

(vi) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति या निरस्त किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) विसंगति का निराकरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष/कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2022

क्रमांक/योजना/छ.ग.श्र.क.मं./2022/22.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाई जाती है :—

1. खेल-कूद प्रोत्साहन योजना

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "खेल-कूद प्रोत्साहन योजना 2022" होगा.

(ii) छत्तीसगढ़ प्रदेश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों, पति/पत्नी एवं प्रदेश के युवाओं का खेल के प्रति रूझान, स्वावलंबन एवं जीविका हेतु विकल्प तथा आम जन-मानस में स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से उक्त योजना प्रस्तावित है. इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा भी मिलेगी.

(iii) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी किसी भी खेल में विजेता रहा तो जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशस्ति पत्र के साथ अलंकृत किया जावेगा.

(iv) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत् पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिजनों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जावेगी :—

(क)

क्रमांक	स्तर	हितलाभ राशि (रुपये में)		
		प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला स्तरीय	8,000/-	7,000/-	5,000/-
2.	संभाग स्तरीय	10,000/-	9,000/-	8,000/-
3.	राज्य स्तरीय	25,000/-	20,000/-	15,000/-
4.	राष्ट्रीय स्तरीय	50,000/-	40,000/-	30,000/-
5.	अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय	1,50,000/-	1,20,000/-	1,00,000/-

(v) योजना का प्रावधान छ.ग. राज्य में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(क) • यदि कोई आवेदक दलीय/समूह खेलों में विशेष प्रतिस्पर्धा (जैसे कि-अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा) में भाग लिये हुए समूह का खिलाड़ी हो तो निम्नानुसार हितलाभ के लिए पात्र हो सकेगा.

उदाहरण :— रणजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, रोवर्स कप, डुरंड कप, आगा खान कप, हॉकी इंडिया लीग, नेहरू सीनियर कप एवं इत्यादि.

क्रमांक	यदि समूह द्वारा प्रतिस्पर्धा खेला गया हो	हितलाभ राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	अंतर्राज्यीय स्तरीय	15,000/-
2.	राष्ट्रीय स्तरीय	30,000/-
3.	अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय	1,00,000/-

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

01. इस योजना का लाभ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापनाओं/संस्थाओं/कारखानों एवं ठेकेदारों के द्वारा नियोजित/कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों/श्रमिक अथवा उनके पुत्री/पुत्री, पति/पत्नि को दिया जावेगा.

02. मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 1 की उपधारा (6) के अंतर्गत संदाय मजदूरी प्राप्त करने वाले मंडल में पंजीकृत श्रमिक/कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे.

03. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी किसी भी खेल में विजेता रहा तो जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशस्ति पत्र के साथ अलंकृत किया जावेगा.

04. इस योजना हेतु ऐसे ही श्रमिक/कर्मचारी पात्र होंगे जिनके आवेदन तिथि के विगत एक वर्ष की अवधि का अभिदाय राशि जमा की गई हो.

05. इस योजना का लाभ सभी स्तर पर जीवन काल में एक बार ही दिया जावेगा.

06. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र संबंधित जिला/संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सक्षम खेल अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

1. योजना हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ श्रम कल्याण मंडल के ऑनलाईन पोर्टल cg.labour.nic.in में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

2. ऑनलाईन आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट भरना तथा सहपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन मान्य नहीं होगा.

3. मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के साथ नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा.

4. आवेदक की नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक के मुख्य पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति बैंक प्रबंधक द्वारा प्रमाणित कर, जिसमें बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड, नाम सहित उल्लेख हो अपलोड करना अनिवार्य है.

5. योजना में चयनित हितग्राही को वितरित की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे श्रमिक/कर्मचारी अथवा लाभार्थी के बैंक खाते में NEFT/RTGS/ धनादेश के माध्यम से अंतरित की जावेगी.

6. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.

7. योजना का प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से पूरे राज्य में प्रभावशील होगा.

8. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति या निरस्त किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) विसंगति का निराकरण :—

1. इस योजना के संबंध में कोई भी विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष/कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

दिव्यांश सिन्हा,
कल्याण आयुक्त.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2105.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2815 दिनांक 24-08-2020 द्वारा श्री कुंजीलाल कोठारी, कृषि विकास अधिकारी गंडई को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गंडई जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री कुंजीलाल कोठारी, कृषि विकास अधिकारी गंडई के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गंडई जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री संजू चंदेल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती जानकी मरावी	उपाध्यक्ष
3.	श्री किशुन मिरचे	सदस्य
4.	श्री फारूख मेमन (व्यापारी)	सदस्य
5.	श्री शत्रुघन चंदेल	सदस्य
6.	श्रीमती प्रियंका जंघेल	सदस्य
7.	श्री रामानंद साहू	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2107.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/4563 दिनांक 03-11-2021 द्वारा श्री एल.बी. जैन, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री एल.बी. जैन, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़ के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री मुरली वर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री नरेश सिन्हा	उपाध्यक्ष
3.	श्री फिरंगी पटेल	सदस्य
4.	श्री गौकरण कोसले	सदस्य
5.	श्री प्रमोद वैष्णव	सदस्य
6.	श्री रमेश उईके	सदस्य
7.	श्रीमती आशा मंडावी	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2109.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1940 दिनांक 12-06-2018 द्वारा श्री टीकम सिंह ठाकुर, सहायक संचालक कृषि राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री टीकम सिंह ठाकुर, सहायक संचालक कृषि राजनांदगांव के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री गणेश साहू	अध्यक्ष
2.	श्री चमन साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री हेमचंद साहू	सदस्य
4.	श्री विष्णु साहू	सदस्य
5.	श्री टोमन वर्मा	सदस्य
6.	श्री बंशी वर्मा	सदस्य
7.	श्री मुकेश जैन (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2111.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/2122 दिनांक 08-07-2021 द्वारा श्री ललितादित्य नीलम, सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री ललितादित्य नीलम, सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला जिला-राजनांदगांव के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री अवध चुरेन्द्र	अध्यक्ष
2.	श्री उदयराम साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री तीरथराम यादव	सदस्य
4.	श्री डरेहा राम मेश्राम	सदस्य
5.	श्री निखिल देशमुख	सदस्य
6.	श्री घसिया राम नाग	सदस्य
7.	श्री मदन कामले (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2113.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/5808 दिनांक 22-01-2021 द्वारा श्री धनंजय नेताम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला-कांकेर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री धनंजय नेताम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला-कांकेर

(छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

श्री विकास मण्डल	अध्यक्ष
श्री कुबेर चुरपाल	उपाध्यक्ष
श्री दीपक शाहा	सदस्य
श्री मुकुंदचंद्र पाल	सदस्य
श्री स्वपन विश्वास	सदस्य
श्री श्रवण नेताम	सदस्य
श्रीमती शकुंतला घनेलिया	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2115.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2819 दिनांक 24-08-2020 द्वारा श्री जी. पी. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि भानुप्रतापपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर जिला-कांकेर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री जी. पी. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि भानुप्रतापपुर के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर जिला-कांकेर की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

श्री प्रेमसिंग सलाम	अध्यक्ष
श्री सुन्हेर गजेन्द्र	उपाध्यक्ष
श्री अमृत संचेती	सदस्य
श्री बिसम्बर बंजारे	सदस्य
श्री रैन सिंह कोठारे	सदस्य
श्री हरीशचंद्र कावड़े	सदस्य
श्रीमति ममता ठाकुर	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2117.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/1/32/भा.अधि./2013-14/7124 दिनांक 21-02-2014 द्वारा श्री हरीश कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चारामा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति चारामा जिला-कांकेर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री हरीश कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चारामा के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति चारामा जिला-कांकेर की

भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

श्रीमती उषा वटटी	अध्यक्ष
श्री छगन लाल यादव	उपाध्यक्ष
श्री परमेश्वर जैन (कृषक सदस्य)	सदस्य
श्री कुबेर ठाकुर	सदस्य
श्री जितेन्द्र साहू	सदस्य
श्री बोधन लाटिया	सदस्य
श्री नवीन पटेल (व्यापारी सदस्य)	सदस्य

भुवनेश यादव,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th July 2022

No. 1033/Confdl./2022/II-3-1/2022.— The following Civil Judges & Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Satish Kumar Khakha, Civil Judge Class-II.	Dallirajhara	Wadrafnagar	Balrampur	Civil Judge Class-II
2.	Smt. Anita Koshima Rawte, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II
3.	Shri Vivek Netam, Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission.	Raipur	Durg	Durg	IX Civil Judge Class-II
4.	Shri Dwijendra Nath Thakur, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Gharghora	Durg	Durg	IV Civil Judge Class-II
5.	Shri Avinash Kumar Dubey, Civil Judge Class-II.	Pandariya	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	II Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Smt. Soni Tiwari, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Dallirajhara	Balod	Civil Judge Class-II
7.	Shri Alok Kumar Agrawal, Civil Judge Class-II.	Wadrafnagar	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-II
8.	Ku. Ankita Yadu, Civil Judge Class-II.	Mungeli	Raipur	Raipur	XIII Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.

Note :— The names of Judicial Officers mentioned at serial no. 4, 7 & 8 are not entitled for any grant and/or allowance(s) pursuant to transfer on their own request.

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2022

क्रमांक 10039/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा अपने घोषित कार्य स्थल दंतेवाड़ा के अतिरिक्त बचेली में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 10039/Checker/III-10-11-2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the court of II Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Dantewara, in addition to its place of sitting at Dantewara, shall also sit at Bacheli for 1 week in every month.

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2022

क्रमांक 10040/चेकर/तीन-10-11/2000.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6295/तीन-10-11/2000 दिनांक 02 जुलाई, 2021 जहां तक उसका संबंध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा की श्रृंखला न्यायालय बचेली से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 10040/Checker/III-10-11-2000.—The Notification no. 6295/III-10-11/2000 dated 02 July 2021 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Camp Court of the I Civil Judge Class-II/ Judicial Magistrate First Class, Dantewara at Bacheli is hereby cancelled.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.